

## फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टर में) – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी 15 से राडगाव सरेखण प्रस्ताव किमी 10 (15.675 किमी 10) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आरक्षित वन भूमि	— 7.455 है
वन पंचायत	— 2.296 है
सिविल सोयम भूमि	— 0.136 है
नाप भूमि	— 1.085 है
योग	— 10.972 है

2. प्रस्तावक विभाग का नाम — पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी।
3. वन प्रभाग का नाम — मसूरी वन प्रभाग मसूरी
4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है — हॉ✓/नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है — हॉ✓/नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। — हॉ✓/नहीं
7. क्या प्रारूप में वांचित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। — हॉ✓/नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। — हॉ✓/नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है। — हॉ✓/नहीं
10. बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन सरकार का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। — हॉ✓/नहीं/लागू✓/नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है — हॉ✓/नहीं
12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। — हॉ✓/नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है — हॉ✓/नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दिस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है — हॉ✓/नहीं
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को — हॉ✓/नहीं

16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास सिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है  
— हाँ/ नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है  
— हाँ/ नहीं
18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है  
— हाँ/ नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है  
— हाँ/ नहीं
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)  
— हाँ/ नहीं
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है  
— हाँ/ नहीं
22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दू किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है  
— हाँ/ नहीं
23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है  
— हाँ/ नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये।  
— हाँ/ नहीं
25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/ वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शायें गये हैं  
— हाँ/ नहीं
26. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये)  
— हाँ/ नहीं
27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 हेठो से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)  
— हाँ/ नहीं/ लागू नहीं
28. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है  
— हाँ/ नहीं
29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है  
— हाँ/ नहीं
- अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है— हाँ/ नहीं

30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है

- हाँ/नहीं ✓

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न हैं यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं

- हाँ/नहीं ✓

32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है

- हाँ/नहीं ✓


33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ/नहीं ✓


34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है

- हाँ/नहीं ✓

35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं - हाँ/नहीं ✓

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड, -२  
नई दिल्ली, देहसदून

  
सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड, -२  
नई दिल्ली, देहसदून

  
अधिशाकी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,  
देहसदून  
नई दिल्ली